

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1163 सन 2020

अनवान :-

1. हरिसिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. सज्जन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. अजीतसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. जगदीश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. मदनलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. विनोद पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. पूनम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
10. बन्तो पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
11. सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
12. दिव्या पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08/04/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 350/130 की कुल 2.0240हैक व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 74/73 की कुल 4.0480हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 की कुल 2.7580हैक व चक 7 केएनएन के खाता संख्या 138/174 की कुल 3.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 139/174 की कुल 0.7590हैक व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 की कुल 4.2760हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 , 6 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,5 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक

 उपखण्ड अधिकारी

नोहर

हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 350/130 की कुल 2.0240 हैक व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 74/73 की कुल 4.0480 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 की कुल 2.7580 हैक व चक 7 केएनएन के खाता संख्या 138/174 की कुल 3.7950 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 139/174 की कुल 0.7590 हैक व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 की कुल 4.2760 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4, 6 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 350/130 की कुल 2.0240 हैक व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 74/73 की कुल 4.0480 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 की कुल 2.7580 हैक व चक 7 केएनएन के खाता संख्या 138/174 की कुल 3.7950 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 7

केएनएन के खाता संख्या 139/174 की कुल 0.7590 हैक व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 की कुल 4.2760 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

पर्चा खर्तानी के अनुसार वाद भूमि मुखराम वल्द बख्तारा के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के नाम से दर्ज है वादी के दादा मुखराम वल्द बख्तारा के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 के प0न0 336/364(448) के किला न0 11, 12, 16 ता 19, 20 ता 25 प्रत्येक 0.2530 हैक व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 139/74 की कुल 0.7590 हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है शेष रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 के प0न0 327/354(107) के किला न0 11/0.253, 12/0.2530 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 138/74 की कुल 3.7950 हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6, 7 बहिब कके खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 74/73 की कुल 4.0480 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1, 2 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 350/130 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरिसिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. सज्जन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
3. अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
4. अजीतसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
5. जगदीश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
6. मदनलाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
7. विनोद पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
8. सुमन पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
9. पूनम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
10. बन्तो पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
11. सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
12. दिव्या पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक-08/04/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 के प0न0 336/364(448) के किला न0 11,12,16 ता 19,20 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 139/74 की कुल 0.7590हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3,4 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 के प0न0 327/354(107) के किला न0 11/0.253, 12/0.2530 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 138/74 की कुल 3.7950हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6,7 बहिब कके खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 की भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम यथावत रहेगी व रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 74/73 की कुल 4.0480हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 1,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 350/130 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)